न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रं. /13/निगरानी R. 232-I/14

01. ईश्वरदास पिता वंशीदास बैरागी, उम्र 36 वर्ष

02. कारूदास पिता वंशीदास, जाति बैरागी, उम्र 28 वर्ष, निवासीगण – ग्राम धतरावदा तहसील जावरा जिला रतलाम ——आवेदकगण

विरूद्व

मदनलाल पिता श्रीलाल उम्र 65 वर्ष, निवासी – ग्राम धतरावदा तहसील जावरा जिला रतलाम ——अनावेदक

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय जावरा के प्रकरण क्रमांक 37/अ–12/11–12 में पारित आदेश दिनांक 12/6/2012 एवं सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 10/07/2012 व पंचनामा दिनांक 26/06/2012 से असंतुष्ट एवं दुखीत होकर आवेदक ने गलती से कलेक्टर महोदय रतलाम के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर दी थी। जिस पर दिनांक 25/04/13 को आदेश पारित करते हुए निगरानी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आवेदक अभिभाषक को दिनांक 11/12/13 को वापस की गई उसके पश्चात आज माननीय न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। जिसमें कलेक्टर महोदय के समक्ष जो समय व्यतीत हुआ उसे कंण्डोन कर निगरानी अंदर अवधि मान्य की जाने की कृपा की जावे।

01. यह कि, राजस्व निरीक्षक वृत 01 ढोढर द्वारा जो सीमांकन कियागया है वह विधि अनुसार ना होकर धारा 129 म.प्र.भू.रा.संहिता के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02. यह कि, अनावेदक के आवेदन पत्र पर आवेदक को सीमांकन बाबत कोई सूचना नहीं दी गई व सीमांकन के समय कोई फील्डबुक्स भी नहीं बनाई गई इस प्रकार से 129 के प्रावधानों व नियमों के विपरीत सीमांकन किया गया जो निरस्ती योग्य है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-232-एक/14 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक ०३.०१.१५ को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	